कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख),राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 2 (8)2024–25/विकास/प्रमुवसं/ 3853 दिनांक 04/07/2024

कार्यालय आदेश

मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर के पत्र कमांक 758 दिनांक 25.06.2024 से प्राप्त प्रस्तावानुसार उप वन संरक्षक,वन्यजीव,चिडियाधर जयपुर को झालाना वन क्षेत्र में खनन क्षेत्र को हरा भरा करने हेतु ड्रोन के द्वारा बीजारोपण कर पहाडियों को विकसित करने हेतु बजट मद 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01–वानिकी, 101–वन संरक्षण विकास तथा संपोषण, (06)–संघनन सीमा निर्धारण तथा बंदोबस्त कार्य, 40–अनुसंधान, मूल्यांकन् एवं सर्वेक्षण में वर्ष 2024–25 हेतु निम्नानुसार बजट आंवटन किया जाता है।

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	कार्य का नाम	आवंटित बजट (राशि रू. लाखो में)
वन्यजीव, जयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाधर जयपुर	झालाना वन क्षेत्र में खनन क्षेत्र को हरा भरा करने हेतु ड्रोन के द्वारा बीजारोपण कर पहाडियों को विकसित करने हेतु	7.00

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये –

1. उक्त आवंटित बजट संबंधित वन मण्डलो को अविलम्ब आवंटन किया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियिमतताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वित्त (आय–व्ययक) विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक F.4(1)FD-I(1)BUGET/2021 दिनांक 30.03.2021 में दिए गए निर्देशो के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही/स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
5. कार्यो को यथाशीध्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(अनुराग भारद्वाज)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 21(8)2024–25/विकास/प्रमुवसं/ 3854-60 दिनांक 04/07/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,राजस्थान,जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक,वन्यजीव,जयपुर।
3. वित्तिय सलाहकार वन विभाग, जयपुर
4. उप वन संरक्षक, वन्यजीव,चिडियाघर,जयपुर।
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली

(सेडूराम यादव)
मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)
राजस्थान, जयपुर

D:\Users\RAMESH\Desktop\Misc C 2023-24 (30-01-2024).docx